आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक व [illegible]
15.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा०पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी को बचपन में दशरथ सिंह व राजकुमार सिंह दोनों नामों से पुकारा जाता था। प्रार्थी के पिता गिरवर सिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी के बचपन का नाम दशरथ सिंह के नाम राजस्व अभिलेख दर्ज कर दिया गया जबकि समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजकुमार सिंह है। अतः प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह के बजाय राजकुमार सिंह अंकित किया जावे। अप्रार्थी ने जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि पटवारी हल्का मणकसास एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में पाया गया कि प्रार्थी को दशरथ सिंह बोलते थे जबकि सही नाम राजकुमार सिंह है तथा समस्त दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम राजकुमार सिंह है। अतः ग्राम मणकसास के खाता सं० नया 284 में प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह के बजाय राजकुमार सिंह दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है। पत्रावली, दस्तावेजात, जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पुत्र आधार कार्ड, पुत्र पुत्रियों की अंकतालिका में प्रार्थी का नाम राजकुमार सिंह है। अतः ग्राम मणकसास के भूमि खसरा नम्बर 357, 358 में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दशरथ सिंह की बजाय राजकुमार सिंह दुरुस्त किया जाना उचित है। आदेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ०धारा 136 [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम [illegible] के भूमि [illegible] नम्बर 357, 358 के राजस्व रिकार्ड [illegible] दशरथ सिंह पुत्र गिरवर सिंह के स्थान पर राजकुमार सिंह पुत्र गिरवर सिंह दुरुस्त किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] 15/3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023-02-13 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested